

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 07 / 15

दायरा दिनांक :- 24.11.2015

आर.सी.एम.एस. नम्बर - 2016 / 00031

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)



उनवान

धारासिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति बंजारा निवासी बकनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

- अपीलान्त

बनाम

रामसिंह पुत्र हरदयाल जाति सहरिया निवासी जगदेवपुरा, तहसील किशनगंज जिला बारां

- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

श्री एम.आई.खान - अपीलान्त

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक - रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी फैसला दिनांक 21.09.2015 व अदालत तहसीलदार किशनगंज बउनवान रामसिंह बनाम धारासिंह कार्यवाही 183(बी) आर.टी.एक्ट. मि0 नं. 38/15 बाबत।

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2019

अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 21.09.2015 प्रकरण संख्या 38/50 बउनवान रामसिंह बनाम धारासिंह अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने से व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये। अप्रार्थी से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्त को ग्राम जगदेवपुरा तहसील किशनगंज के आराजी खसरा नम्बर 26/3 रकबा 5.00 बीघा पर अपीलान्त का नाजायज कब्जा मानकर अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्त यह अपील पेश करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा मानमाने ढंग से विधि विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी जी रंजिस पूर्ण रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्त का नाजायज कब्जा माना है तथा कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली गई है ना ही मौके पर जाकर मौका देखा गया है ना ही हल्का पटवारी के बयान लेखवत किये हैं। ना रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रदर्श किया है, अतः निर्णय निरस्तनीय है।

अपीलान्त ने रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया है बल्की आपीलान्त वन भूमि की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर जाके रेस्पोडेन्ट की भूमि की पैमाईश भी नहीं करवाई गयी है तथा न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय अपीलान्त की अनुपस्थिति में सुनाया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्त का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त का उक्त कथन उचित नहीं है

पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम जगदवेपुरा की आराजी खसरा नम्बर 26/3 रकबा 5.00 बीघा रेस्पोजेण्ट रामसिंह पुत्र हरदयाल जाति सहरिया सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है कि खसरा नं. 26/3 में 5.00 बीघा में अपीलान्त धारासिंह का नाजायज कब्जा काशत होना बताया है। रेस्पोजेण्ट की जाति सहरिया है जो एस.टी. की श्रेणी में आता है। अपीलान्त बंजारा जाति का है। अपीलान्त अनुसूचित जनजाति का नहीं है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारा)